

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- ०८/२०

तारीख ३०-१-२०२०

०१. राजीदेवी पत्नि श्यामलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

०२. गोरू पिता डालु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

०३. मोहनसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

०४. भूरालाल पिता कालु जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

०५. संग्राम पिता भूरा जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

.....विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११ - १२८ रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: ५/११/२०२०

प्रार्थना पत्र राजीदेवी पत्नि श्यामलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा बांका पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या २०७ पर अंकित आराजी संख्या १०७७/३५९ रकबा ५-०० बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत २०७२-२०७५ के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कंला को पत्थरगढ़ी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस ५००/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-१२८ राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा बांका पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या २०७ पर अंकित आराजी संख्या १०७७/३५९ रकबा ५-०० बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि १००/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा